तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	27/09/25 पत्रावली पेश हुई। [illegible] द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दी गई गत आदेश की पालना में दिनांक 3/10/25 को पेश हो। ह०/- रीडर
3/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। तहसीलदार बाँदीकुई के पत्रांक 9135 दिनांक 23/09/2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। वास्ते बहस/साक्ष्य पत्रावली दिनांक 7/10/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बाँदीकुई (दौसा)
7/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते बहस/साक्ष्य पत्रावली दिनांक 10/11/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बाँदीकुई (दौसा)
10/11/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते बहस/साक्ष्य पत्रावली दिनांक 27/11/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बाँदीकुई (दौसा)
	27/11/25 पत्रावली पेश हुई। आवेदन अनुच्छेद 30 प्रस्तुत की गई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। बाकी साक्ष्य पूर्व में पेश हो चुकी है। प्रकरण अपीलार्थी, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी होने के लिए [illegible] किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर [illegible] पत्रावली [illegible] गया प्रकरण बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। ह० 27/11/25 उप खण्ड अधिकारी बाँदीकुई (दौसा)

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
जज अदालत—न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बाँदीकुई मुकाम—बाँदीकुई
जज इजलास— रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बाँदीकुई
उनवान— द्रोपदी बनाम अर्पणा वगै.
दावा बाबत— तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
मु.न. 147 / 2024

आदेश है कि वाद वादीगण दावा उद्घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या नया 09 पुराना 10 खसरा नम्बर 212 रकबा 0. 48 हैक्टेयर बारानी 1 खसरा नम्बर 213 रकबा 0.38 हैक्टे. बारानी 1 कुल किता 02 कुल रकबा 0.86 है. ग्राम सुनगाडी में नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 18.6.1990, के आधार पर मृतक दिनेश पुत्र हरसहाय के हिस्से की उदघोषणा की जाती है। तहसीलदार बांदीकुई वादग्रस्त भूमि में मृतक हरसहाय के वारिसान का समान हिस्सा कम करते हुये वादी संख्या 1 द्रोपती के पति एवं वादी संख्या 2, विकास वादी संख्या 3 रेखा के पिता का हिस्सा कायम कर उनका नाम उनके पिता के हिस्से अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे अमल दरामद करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हिस्से की भूमि में मजाहमत पैदा न करे। पर्चा डिक्री एवं तहरीर जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 27.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

निज.............................मुबलिग...बाबत...खर्चा
इस मुकदमें के मय सूद मसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 11 सन् 2025 को जारी की गई।

27/11/25
(रामसिंह राजावत)
आरएएस
उपखंड अधिकारी
बांदीकुई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

दस्तखत........ 27/11/25
ओहदा....................

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा

मुकदमा नम्बर 147/2024
दर्ज दिनांक 25.09.2024
निर्णय दिनांक 27.11.2025

उनवान

1. द्रोपदी पत्नि दिनेश उम्र 59 वर्ष
2. विकास पुत्र दिनेश उम्र 35 वर्ष
3. रेखा पुत्री दिनेश उम्र 40 वर्ष
   समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी सुनगाडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।

वादीगणः-----

बनाम

1. अर्पणा उम्र 36 वर्ष पुत्री दशरथ जाति ब्राहम्ण निवासी सुनगाडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
2. ओमप्रकाश उम्र 25 वर्ष पुत्र राजेन्द्र जाति माली निवासी सुनगाडी तहसील बांदीकुई जिला दौसां।
3. कानूराम पुत्र कजोड
4. दुर्गी पुत्री कजोड
5. धक्की पुत्री कजोड
   } समस्त जाति बैरवा निवासी सुनगाडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
6. कमला देवी उम्र 71 वर्ष पत्नि स्वः दशरथ जाति ब्राहम्ण निवासी सुनगाडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
7. बनवारी लाल उम्र 40 वर्ष पुत्र गोपाल राम जाति माली निवासी माचाड्या की ढाणी सुनगाडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान ।
8. त्रिलोक मिश्रा पुत्र कैलाश उम्र 48 वर्ष
9. कान्ता शर्मा पुत्री कैलाश उम्र 60 वर्ष
10. लता देवी पुत्री कैलाश उम्र 52 वर्ष
11. सुमन पुत्री कैलाश चन्द उम्र 44 वर्ष
    } समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी सुनगाडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
12. कल्याणसहाय उम्र 50 वर्ष पुत्र गंगासहाय
13. ब्रजमोहन उम्र 48 वर्ष पुत्र गंगासहाय
14. केसर उम्र 55 पुत्री गंगासहाय
    } जातियान बैरवा निवासी सुनगाडी तहसील बांदीकुई
15. दुर्गेश कुमार उम्र 48 वर्ष दोहित्रा सूरजदत्त जाति ब्राहम्ण
16. धर्मेन्द्र उम्र 36 वर्ष पुत्र दशरथ जाति ब्राहम्ण
17. विजेन्द्र उम्र 52 वर्ष पुत्र दशरथ जाति ब्राहम्ण
18. महेन्द्र उम्र 46 वर्ष पुत्र दशरथ जाति ब्राहम्ण
19. सुरेन्द्र उम्र 50 वर्ष पुत्र दशरथ जाति ब्राहम्ण
20. गुड्डी उम्र 40 वर्ष पुत्री दशरथ जाति ब्राहम्ण
21. छगन उम्र 52 वर्ष पुत्र अशरफी जाति ब्राहम्ण
22. पप्पू उम्र 53 वर्ष पुत्र अशरफी जाति ब्राहम्ण
23. कलावती उम्र 65 वर्ष पत्नि अशरफी जाति ब्राहम्ण
24. महेश उम्र 65 वर्ष पुत्र हरसहाय जाति ब्राहम्ण

Scanned with OKEN Scanner

25. सीमा देवी उम्र 52 वर्ष दोहित्री सूरजदत्त जाति ब्राहम्ण
20. नरेश कुमार उम्र 27 वर्ष पुत्र राजेन्द्र जाति माली
समस्त निवासीयान ग्राम सुनगाडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
27. राजस्थान सरकार (लैण्ड होल्डर) जरिये तहसीलदार बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
28. उपपंजीयक एंव सब रजिस्ट्रार महोदय आभानेरी तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

प्रतिवादीगण

दावा उद्घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण की और से प्रार्थना पत्र निम्नलिखित पेश है :—1. भूमि खाता संख्या नया 09 पुराना 10 खसरा नम्बर 212 रकबा 0.48 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा नम्बर 213 रकबा 0.38 हैक्टेयर बारानी 1 कुल किताा 02 कुल रकबा 0.86 हैक्टेयर वार्षिक लगानी 10 रूपया 32 पैसा वाके ग्राम सुनगाडी पटवार हल्का ऊनबडागांव भू.अभि.नि.क्षेत्र पीचूपाडा खुर्द, तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित चली आ रही है नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 वादपत्र के साथ संलग्न है। भूमि मुतदाविया के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज खातेदार कजोड पुत्र किशन जाति बैरवा की मृत्यु हो चुकी है जिसके स्थान पर उसके वारिसान का नामान्तकरण दर्ज नही हुआ है उसके वारिसान को प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 05 पक्षकार बनाया गया है तथा इसी प्रकार खातेदार कैलाश पुत्र हरसहाय जाति ब्रहम्ण व गंगासहाय पुत्र किशन जाति बैरवा की भी मृत्यु हो चुकी है उनके वारिसान को प्रतिवादी संख्या 08 लगायत 14 पक्षकार बनाया गया है। भूमि मुतदाविया वादीगण की पैतृक भूमि रही है जिसमे वादीगण के दादा स्व. हरसहाय पुत्र प्रसादी के हिस्से में भूमि मुतदाविया में 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रहा है हरसहाय पुत्र प्रसादी का स्वर्गवास होने पर वादीगण के पिता स्व. दिनेश पुत्र हरसहाय तथा उनके भाई कैलाश , दशरथ, रमेश , महेश पुत्रान हरसहाय व अशरफी के वारिसान उसकी पत्नी कलावती व पुत्रान छगन व पप्पू के नाम नामान्तरण संख्या 15 दिनांक 18.06.1990 को दर्ज हुआ व वादीगण के पिता स्व. दिनेश उस अनुसार ही अपने हिस्से की भूमि मुतदाविया पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो की त्रूटि के कारण सम्वत 2052 व 2071 में वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नही किया जबकि वादीगण के पिता व पति के अन्य भाई कैलाश ,दशरथ रमेश महेश व मृतक अशरफी की पत्नी कलावती बेवा अशरफी व पुत्रान पप्पू व भूमि मुतदाविया के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज खातेदार कजोड पुत्र किशन जाति बैरवा की मृत्यु हो चुकी है जिसके स्थान पर उसके वारिसान का नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ है उसके वारिसान को प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 05 पक्षकार बनाया गया है तथा इसी प्रकार खातेदार कैलाश पुत्र हरसहाय जाति ब्राहम्ण व गंगासहाय पुत्र किशन जाति बैरवा की भी मृत्यु हो चुकी है उनके वारिसान को प्रतिवादी संख्या 08 लगायत 14 पक्षकार बनाया गया है। भूमि मुतदाविया वर्णित वादपत्र का पैरा नम्बर 01 वादीगण की पैतृक भूमि रही है जिसमें वादीगण के दादा स्व. हरसहाय पुत्र प्रसादी के हिस्से में भूमि मुतदाविया में 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में रहा है हरसहाय पुत्र प्रसादी का स्वर्गवास होने पर वादीगण के पिता स्व. दिनेश पुत्र हरसहाय तथा उनके भाई कैलाश, दशरथ, रमेश, महेश पुत्रान हरसहाय व अशरफी के वारिसान उसकी पत्नि कलावती व पुत्रान छगन व पप्पू के

Scanned with OKEN Scanner

नाम नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 18/06/1990 को दर्ज हुआ व वादीगण के पिता स्वं दिनेश उस अनुसार ही अपने हिस्से की भूमि मुतदाविया पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियो की त्रूटी के कारण सम्वत 2052 से 2071 में वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज नहीं किया जबकि वादीगण के पिता व पति के अन्य भाई कैलाश, दशरथ, रमेश, महेश व मृतक अशरफी की पत्नि कलावती बेवा अशरफी व पुत्रान पप्पू व छगन के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में भूमि मुतदाविया को दर्ज कर दिया गया वादीगण के पिता स्व. दिनेश का स्वर्गवास होने पर वादीगण को नामान्तकरण खुलवाने वास्ते पटवारी हल्का से मिलने पर वादीगण की जानकारी में प्रथम बार आया की वादीगण के पिता का नाम सम्वत 2052 से 2071 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया है। जिसे दुरूस्त करवाकर वादीगण अपने पिता के हिस्से 1/24 के वारिस उत्तराधिकारी होने से भूमि मुतदाविया के 1/24 हिस्से की भूमि की उद्घोषणा अपने हक में करवाने के अधिकारी है।

(अ) वादीगण भूमि मुतदाविया वर्णित वादपत्र का पैरा नम्बर 01 में राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाकर कैलाश, दशरथ, रमेश, महेश व अशरफी के वारिसान उसकी पत्नि कलावती व पुत्रान छगन व पप्पू के समान ही अपने पिता स्व. दिनेश के 1/24 हिस्से की खातेदारी के वैध वारिसान है। एवम जमाबन्दी राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाकर कैलाश, रमेश, दशरथ, महेश व अशरफी के वारिसान पत्नि कलावती व पुत्रान छगन व पप्पू के समान वादीगण के हिस्से 1/24 की भूमि की उदघोषणा वादीगण अपने नाम करवाने के अधिकारी है।

(ब) प्रतिवादीगण को इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जावे की वे भूमि मुतदाविया वर्णित वादपत्र के पैरा नम्बर 01 भूमि खाता संख्या नया 09 पुराना 10 खसरा नम्बर 212 रकबा 0.48 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा नम्बर 213 रकबा 0.38 हैक्टेयर बारानी 1 कुल किता 02 कुल रकबा 0.86 हैक्टेयर वाके ग्राम सुनगाडी पटवार हल्का ऊनबडागांव भू.अभि.नि.क्षेत्र पीचूपाडा खुर्द, तहसील बांदीकुई जिला दौसा में प्रतिवादीगण स्वंय जरिये अपने मददगारान, परिवारजन, नौकर, ऐजेन्ट किसी भी प्रकार का कोई पुख्ता या खाम निर्माण करने से वादी को भूमि मुतदाविया में प्राप्त विधिक अधिकारो के उपयोग उपभोग में बाधा मजाहमत पैदा करने से एवं वादी के विधिक अधिकारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई अवैध कार्य करने से, रहन बय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने से सदैव के लिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित रहें। तथा प्रतिवादी संख्या 26 व 27 के समक्ष भूमि मुतदाविया से सम्बन्धित किसी प्रकार के रहन बय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरण सम्बन्धि विलेख को पंजीकृत करने से प्रतिबन्धित रहे। राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 1,3 लगा. 6,8 लगा. 11,15 लगा. 25, 27 व 28 बावजुद रजिस्टर्ड एडी तामील उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2,7,12,13,14 व 26 का जवाब बन्द किया जाकर प्रकरण वादी साक्ष्य एवं तहसीलदार रिर्पोट पर नियत किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र द्रोपती पत्नि दिनेश रमेश पुत्र रामसहाय का पेश किया गया वादी की ओर से और साक्ष्य पेश नही करने के कारण वादीसाक्ष्य बन्द की गई पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य पर नियत की गई प्रतिवादी संख्या 2,7,12,13,14 और 26 की अधिवक्ता के द्वारा दावा डिक्री करने की सहमति प्रदान की गई प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 9195 दि0 23.09.2025 के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जो निम्न प्रकार है।

Scanned with OKEN Scanner

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी सवंत 2042–45 के खाता सं 67 में नामान्तकरण सं 15 दि0 18.06.1990 में हरसहाय के स्थान पर कैलाश, दशरथ, रमेश, दिनेश महेश पिता हरसहाय हि. 5/6 कलावती बेवा असरफी छगन, पप्पू पिता असरफी हि. 1/6 दर हि. 1/4 सुरजदत पुत्र प्रसादी हि. 1/4 कौम ब्राहामण कजोड, गंगासहाय पिता किशन हि. 1/2 कौम चमार अंकित है।

2. मुताबित मिलान क्षेत्रफल भू– प्रबंध विभाग 2052–71 के साबिक खाता सं. 3 ख. न. 519 के ख. न. 212,213 बने है।

3. खतौनी भू–प्रबंध विभाग संवत 2052–71 के खाता सं. 3 ख. न. 212,213 रकबा 0.86 हैक्टे. में खातेदार कैलाश,दशरथ,रमेश, महेश पिता हरसहाय हि. 5/6 कलावती बेवा असरफी छगन, पप्पू पिता असरफी हि. 1/6 दर हि. 1/4 सुरजदत पुत्र प्रसादी हि. 1/4 कौम ब्राहामण कजोड, गंगासहाय पिता किशन हि. 1/2 कौम चमार दर्ज है। जिसमें जमाबंदी संवत 2042–47 के उपरोक्त खातेदारों में से दिनेश पुत्र हरसहाय का नाम दर्ज नहीं है।

4. ग्राम सुनगाडी की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खाता सं. 9 ख. न. 212,213 किता 7 02 रकबा – 0.86 हैक्टे. में खातेदार अर्पणा पुत्री दशरथ हि. 5/672 जाति ब्राहामण ओमप्रकाश पुत्र राजेन्द्र हि. 17/144 जाति माली कजोड पुत्र किशन हि. 1/4 जाति बैरवा कमला देवी पत्नि दशरथ हि. 5/672 कैलाश पुत्र हरसहाय हि. 5/96 जाति ब्राहामण गंगासहाय पुत्र किशन हि. 1/4 जाति बैरवा गुड्डी पुत्री दशरथ हि. 5/672 छगन पुत्र असरफी हि. 1/72 दुर्गेश कुमार दोहित्रा सुरजदत हि. 1/144 धर्मेन्द्र पुत्र दशरथ हि. 5/672 पप्पू पुत्र असरफी हि. 1/72 विजेन्द्र पुत्र दशरथ हि. 5/672 कलावती पत्नी असरफी हि. 1/72 महेन्द्र पुत्र दशरथ हि. 5/672 महेश पुत्र हरसहाय हि. 5/96 सुरेन्द्र पुत्र दशरथ हि. 5/672 सीमा देवी दोहित्रा सुरजदत हि. 1/144 जाति ब्राहामण नरेश पुत्र राजेन्द्र हि. 17/144 बनवारीलाल पुत्र गोपाल राम हि. 5/96 जाति माली सा देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खाते में भी दिनेश पुत्र हरसहाय का नाम दर्ज नहीं है। तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट पेश होने पर पत्रावली बहस नियत की गई

बहस सुनी गई बहस के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि में खातेदारी उद्घोषणा करने का निवेदन किया गया है।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रतिवादीगण का जवाब पेश नही होने से प्रकारण में तनकीयात कायम नही की गयी प्रकरण में वादीगण का मूल कथन है कि राजस्व कर्मचारी व अधिकारी की त्रुटि के कारण सम्वत 2052–71 में वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज नही किया गया जबकि वादीगण के पिता व पति के अन्य भाई कैलाश, दशरथ,रमेश,महेश व मृतक असरफी की पत्नी कलावती बेवा असरफी व पुत्रांक पप्पू व छगन के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में भूमि मुतदाविया को दर्ज कर दिया गया वादीगण के पिता स्व0 दिनेश का स्वर्गवास होने पर वादीगण को नामान्तकरण खुलवाने पटवारी हल्का से मिलने पर प्रथम बार जानकारी हुई की वादीगण के पिता का नाम सम्वत 2052–71 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही किया गया है। वादीगण अपने पिता के हि. 1/24 के वारिस पुत्राधिकारी होने से भूमि मुतदाविया के 1/24 हि. की भूमि की उद्घोषण करवाने के अधिकारी है।

वादीगण द्वारा उक्त कथन को साबित करने हेतु प्रदर्श 1 ग्राम सुनगाडी की जमाबंदी खाता संख्या नया 9 पु. 10 सम्वत 2076–79 तथा प्रदर्श 2 नामान्तकरण रजि0 सं. 15 दि0 18.06.1990 पेश की गई जिसमें खातेदार हरसहाय के स्थान पर कैलाश, दशरथ,रमेश,

दिनेश,महेश व मृतक असरफी की पत्नी कलावती बेवा असरफी व पुत्रांक पप्पू व छगन का नाम दर्ज है। का नाम दर्ज है। प्रदर्श 3 जमाबंदी सम्वत 2042 से 2046 में दिनेश का नाम दर्ज है। प्रदर्श 4 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 5 नक्सा ट्रेस प्रदर्श 6 भू–प्रबंध विभाग खतौनी सम्वत 2052–71 खाता सं. 6 में दिनेश का नाम दर्ज नहीं है। जबकि प्रदर्श 2 नामा. में वादीगण के पिता एवं पति दिनेश का नाम दर्ज है। तथा जमाबंदी सम्वत 2042–46 में भी नामा. में नामा. सं. 15 दि0 18.06.1990 का नोट दर्ज है। उक्त नोट में दिनेश के अन्य भाईयों के साथ उसके नाम का अंकन भी है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर स्पष्ट है कि जमाबंदी मगवाते समय त्रुटि से वादी सं. 1 के पति एवं वादी सं. 2,3 का नाम जमाबंदी में दर्ज होने से रह गया है। प्रदर्श 2 नामा. सं. 15 दि0 18.06.1990 एवं प्रदर्श 3 जमाबंदी सम्वत 2042–46 के आधार पर वादग्रस्त भूमि में वादी सं. 1 के पति एवं वादी सं. 2,3 के पिता का वादग्रस्त भूमि में हि. रहा है। उक्त आधार पर वादीगण उदघोषणा करवाने के अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण वाद दावा उदघोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः आदेश है कि वाद वादीगण दावा उदघोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या नया 09 पुराना 10 खसरा नम्बर 212 रकबा 0.48 हैक्टेयर बारानी 1 खसरा नम्बर 213 रकबा 0.38 हैक्टे. बारानी 1 कुल किता 02 कुल रकबा 0.86 है. ग्राम सुनगाडी में नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 18.6.1990, के आधार पर मृतक दिनेश पुत्र हरसहाय के हिस्से की उदघोषणा की जाती है। तहसीलदार बांदीकुई वादग्रस्त भूमि में मृतक हरसहाय के वारिसान का समान हिस्सा कम करते हुये वादी संख्या 1 द्रोपती के पति एवं वादी संख्या 2, विकास वादी संख्या 3 रेखा के पिता का हिस्सा कायम कर उनका नाम उनके पिता के हिस्से अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे अमल दरामद करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हिस्से की भूमि में मजाहमत पैदा न करे। पर्चा डिक्री एवं तहरीर जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफतर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 27.11. 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/11/25

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner